बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 265012　　　　　　　　　　पटना, दिनांक 08-03-2016

ग्रा0वि07(BRDS)-17/2014

प्रेषक,

प्रमोद कुमार बिहारी,
विशेष सचिव ।

सेवा में,

<u>सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,</u>
<u>सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक</u>
बिहार ।

विषय:- **मनरेगा अंतर्गत e-FMS व्यवस्था के तहत मेकर (1st Signatory) तथा चेकर (2nd signatory) के संबंध में अतिरिक्त दिशा निदेश ।**

प्रसंग :- **विभागीय पत्रांक 235175 दिनांक 16.06.2015, विभागीय पत्रांक 193428 दिनांक 22.07.2014 एवं विभागीय पत्रांक 255044 दिनांक 11.12.2015**

महाशय,

मनरेगा मार्गदर्शिका, 2013 के अध्याय- 08 की कंडिका-8.4 में e-FMS व्यवस्था के माध्यम से भुगतान का प्रावधान किया गया है जिसके आलोक में विभाग द्वारा समय-समय पर दिशा निदेश निर्गत किए गए हैं ।

इस संबंध में प्रासंगिक पत्रों द्वारा मनरेगा अंतर्गत e-FMS व्यवस्था से भुगतान किए जाने हेतु :-

1. प्रखण्ड स्तर पर लेखापाल (मनरेगा) एवं उनकी अनुपस्थिति / पद रिक्त होने पर प्रखण्ड लेखापाल (नाजिर) को मेकर (1st Signatory) तथा कार्यक्रम पदाधिकारी को चेकर (2nd signatory) एवं उनकी अनुपस्थिति / पद रिक्त होने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को चेकर (2nd signatory) नामित किये जाने का प्रावधान किया गया है ।

2. (क) जिला स्तर पर मेकर (1st Signatory) निदेशक, डी0आर0डी0ए0 का पद रिक्त होने की स्थिति में जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक किसी समकक्ष पदाधिकारी, जो निदेशक, डी0आर0डी0ए0 के प्रभार में रहेंगे तथा जो निदेशक, डी0आर0डी0ए0 से अन्यून स्तर के हों, को मेकर (1st Signatory) नामित करेंगे । यदि उप विकास आयुक्त निदेशक, डी0आर0डी0ए0 के प्रभार में रहेंगे तो जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक किसी अन्य पदाधिकारी, जो निदेशक, डी0आर0डी0ए0 से अन्यून स्तर के हों को मेकर (1st Signatory) नामित करेंगे ।

(ख) जिला स्तर पर चेकर (2nd signatory) उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक का पद रिक्त होने पर जिला पदाधिकारी-सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक किसी समकक्ष पदाधिकारी, जो उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक के प्रभार में रहेंगे तथा जो उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक से अन्यून स्तर के हों, को चेकर (2nd signatory) नामित करेंगे। यदि निदेशक, डी0आर0डी0ए0, उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक के प्रभार में हों तो जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक किसी अन्य पदाधिकारी, जो उप विकास आयुक्त से अन्यून स्तर के हों, को चेकर (2nd signatory) नामित करेंगे ।

उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों से भिन्न परिस्थिति उत्पन्न होने के कारण जिलों द्वारा मेकर एवं चेकर के डिजिटल सिग्नेचर (DSC) बनाने हेतु निदेशित व्यवस्था से अलग प्रस्ताव विभाग को भेजे जा रहे हैं । इसके दृष्टिपथ में उपरोक्त परिस्थितियों से भिन्न परिस्थिति उत्पन्न होने पर e-FMS व्यवस्था के तहत मजदूरी / सामग्री / प्रशासनिक मद में भुगतान ससमय हो एवं मजदूरों के मजदूरी भुगतान में देरी न हो, के लिए सम्यक विचारोपरांत निम्न निदेश दिये जाते हैं :-

प्रखंड स्तर पर मेकर (1st Signatory) तथा चेकर (2nd signatory) के अनुपस्थिति या पद रिक्त होने पर, मेकर (1st Signatory) / चेकर (2nd signatory) का प्रभार सौंपे जाने के संबंध में संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

जिला स्तर पर मेकर (1st Signatory) तथा चेकर (2nd signatory) के अनुपस्थिति या पद रिक्त होने पर, मेकर (1st Signatory) / चेकर (2nd signatory) का प्रभार सौंपे जाने के संबंध में संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी-सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

उपर्युक्त निर्णय के आलोक में उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक डिजिटल सिग्नेचर (DSC) बनाने का प्रस्ताव विभाग को भेजेगें ।

विश्वासभाजन

(प्रमोद कुमार बिहारी)
विशेष सचिव

ज्ञापांक 265012 पटना/दिनांक 08-03-2016

ग्रा0वि07(BRDS)-17/2014

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विशेष सचिव